भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.777
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बदायूं में शहरी अवसंरचना की स्थिति

777.श्री आदित्य यादवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के शहरी क्षेत्र अपर्याप्त शहरी अवसंरचना**,** किफायती आवास की कमी और अपर्याप्त स्वच्छता सेवाओं से ग्रस्त हैं**;**
(ख) यदि हाँ**,** तो सरकार द्वारा किफायती आवास परियोजनाओं के विकास**,** स्वच्छता में सुधार और बेहतर शहरी अवसंरचना के लिए शुरू/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है**;** और
(ग) यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 243 ब के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों, जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम - यू 2.0), आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिज़ाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियाँ जारी करती हैं।

बदायूं में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है: -

<u>अमृत:</u> देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और नगरों में वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह मिशन शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित था। अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का यूनिवर्सल कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों में से एक है। मिशन के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्रस्ताव और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। बदायूं शहर, बदायूं जिले में अमृत के अंतर्गत आता है। बदायूं में अमृत के तहत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं	**शीर्षक**	**क्षेत्र**	**परियोजना लागत (करोड़ रु. में)**
1	गांधी ग्राउंड पार्क का विकास और सौंदर्यीकरण	पार्क	**0.43**
2	वाटर वर्क्स कंपाउंड पार्क का विकास	पार्क	**0.26**
3	गद्दी चौक के पास अंबेडकर पार्क का विकास और सौंदर्यीकरण	पार्क	**0.19**
4	जिला अस्पताल के पास अंबेडकर पार्क का विकास और सौंदर्यीकरण	पार्क	**0.34**
5	बदायूं सेप्टेज प्रबंधन	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	**4.8**
6	बदायूं में जल आपूर्ति लाइनों और घरेलू कनेक्शनों का विस्तार	जल आपूर्ति	**11.96**

अमृत 2.0 के तहत 10 परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**शहरी स्थानीय निकाय**	**परियोजना का प्रकार**	**परियोजना का शीर्षक**	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)**
1	इस्लाम नगर	जल आपूर्ति	इस्लाम नगर नगर पंचायत जल आपूर्ति योजना पुनर्गठन	46.14

	(एनपी)			
2	उझानी (एनपीपी)	जलाशय पुनरूद्धार	सरोवर	2.25
3	उझानी (एनपीपी)	जल आपूर्ति	उझानी नगर पालिका परिषद जलापूर्ति योजना पुनर्गठन (अमृत 2.0 के अंतर्गत)	53.5
4	बिसौली (एनपीपी)	जलाशय पुनरूद्धार	अमृत सरोवर एनपीपी बिसौली	0.8
5	दातागंज (एनपीपी)	जलाशय पुनरूद्धार	अमृत सरोवर	2.25
6	बदायूं (एनपीपी)	जल आपूर्ति	बदायूं के नेकपुर वार्ड 03 के लिए 24x7 जलापूर्ति योजना	15
7	दातागंज (एनपीपी)	जल आपूर्ति	एनपीपी दातागंज जलापूर्ति योजना पुनर्गठन	30.65
8	बदायूं (एनपीपी)	जल आपूर्ति	बदायूं जलापूर्ति योजना पुनर्गठन (अमृत 2.0 के अंतर्गत)	74.71
9	कछला (एनपी)	जल आपूर्ति	कछला नगर पंचायत जलापूर्ति योजना पुनर्गठन (अमृत 2.0 के अंतर्गत)	8
10	सहसवान (एनपीपी)	जल आपूर्ति	सहसवान नगर पालिका परिषद जलापूर्ति योजना पुनर्गठन	55

पीएमएवाई-यू: पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 **के तहत उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:**

क्र. सं.	**विवरण**	**बदायूँ जिला**
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	25,295
2	आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया (संख्या)	18,034
3	पूर्ण/सौंपे गए आवासों का निर्माण (संख्या)	17,808

4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	380.82
5	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	297.13

<u>एसबीएम-यू:</u> यह मिशन देश के सभी शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल)/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी)/यूरिनलों/आधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालयों के निर्माण और शहरों में नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं बनाकर शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया जा सके। **1** लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए, अपशिष्ट जल शोधन सुविधाओं को भी एसबीएम-यू **2.0** के प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की निधियाँ जारी की जाती है, जिसे संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रेषित किया जाता है। इसलिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) के अंतर्गत निधियों का ज़िला/शहरी स्थानीय निकाय-वार विवरण उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) **2.0** के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए **4,073.8** करोड़ रु. का मिशन आवंटन निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक **3,469.84** करोड़ रु. की केंद्रीय हिस्सेदारी (सीएस) वाली कार्य योजना को अनुमोदित किया जा चुका है।

*****